राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, जयपुर
ई-मेल sjeraj_ww@yahoo.com, फोन 0141-2226605, 222662

क्रमांक: एफ. 15 ( ) ( )/सा.सु./म.क./सान्याअवि/2016/ जयपुर, दिनांक :

सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम, 2015

1. योजना का नाम एवं प्रभाव क्षेत्र:-

क) इस योजना का नाम **सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम, 2015** होगा। इस योजनान्तर्गत सभी वर्गों के बी.पी.एल. परिवार की कन्याओं, अन्त्योदय परिवारों की कन्याओं, आस्था कार्डधारी परिवार की कन्याओं तथा आर्थिक दृष्टि से ऐसे कमजोर परिवार जिसमें कोई कमाने वाला वयस्क व्यक्ति नहीं है, की विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी;

ख) यह नियम अधिसूचना जारी करने की तिथि से सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावी होंगे।

2. परिभाषायें:

1. **"राज्य सरकार"** से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।
2. **"विभाग"** से तात्पर्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान से है
3. **"आयुक्त/निदेशक"** से तात्पर्य आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान से है।
4. **"जिला अधिकारी "** से तात्पर्य जिले में नियुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी से है।
5. **"स्वीकृति अधिकारी"** से तात्पर्य जिले में नियुक्त सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला अधिकारी, उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी से है।
6. **"कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी"** से तात्पर्य राज्य कोषागार के प्रभारी अधिकारी से है, जिनके हस्ताक्षर से राज्य सरकार के भुगतान सम्बंधी बिल पारित किये जाते हैं।
7. **"बी.पी.एल.परिवार"** से तात्पर्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे केन्द्र एवं राज्य की बी.पी.एल.सूची मे चयनित परिवारों से है।
8. **"विधवा"** से तात्पर्य उस महिला से है, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो तथा महिला ने पुनर्विवाह नहीं किया हो।
9. **"विधवा पेंशन"** से तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वृद्धावस्था एवं निराश्रित विधवा पेंशन नियम, यथासंशोधित नवीन नियम के अन्तर्गत स्वीकृत राशि से है।
10. **"अन्त्योदय"** से तात्पर्य केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित अन्त्योदय कार्ड धारकों से है।
11. **"आस्था कार्ड"** से तात्पर्य विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा विशेषयोग्यजनों को जारी आस्था कार्ड से है;

3. पात्रता:–

1. इस योजना के अन्तर्गत सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दी जा सकेगी।
2. यह योजना केवल 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्ही 2 कन्या संतानों के विवाह हेतु ही लागू होगी।
3. समस्त वर्गों के बी.पी.एल. परिवार।
4. सभी वर्गों के अन्त्योदय परिवार।
5. आस्था कार्डधारी परिवार।
6. इस योजनान्तर्गत आर्थिक दृष्टि से ऐसी कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु। अनुदान के लिये पात्रता निम्नानुसार होगी:–

I. महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।
II. विधवा की मासिक आय हर स्त्रोत से 50,000 रूपये वार्षिक से अधिक नहीं हो।
III. परिवार में 25 वर्ष व इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य परिवार में नहीं हो।

7. ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता पिता दोनो का देहान्त हो चुका है तथा उसकी देखभाल करने वाली संरक्षक उक्त नियम 6 में वर्णित अनुसार पात्रता धारक विधवा है।
8. ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता पिता दोनो कोई भी जीवित नहीं है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय रूपये 50 हजार वार्षिक से अधिक नहीं है, के विवाह हेतु।
9. जिन कन्या संतानों के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में संचालित सहयोग योजना अथवा विधवा पुत्री के विवाह हेतु सहायता अनुदान राशि प्राप्त की जा चुकी है, उन कन्या संतानों को भी इस नवीन योजना में अधिकतम संतानों की गिनती में सम्मिलित माना जायेगा।

4. <u>योजनान्तर्गत अनुदान</u> :–

योजनान्तर्गत अनुदान 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्ही 2 कन्या संतानों के विवाह हेतु देय होगा।

क्र.सं.	पात्रता	अनुदान	प्रोत्साहन राशि
1	उक्तानुसार पात्र वर्ग की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर सहायता राशि	रूपये 10,000/–	–
2	उक्तानुसार पात्र वर्गों की 10 वी (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) उत्तीर्ण कन्याओं के विवाह पर (रूपये 5,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि)	रूपये 10,000/–	रूपये 5,000/–
3	उक्तानुसार पात्र वर्गों की स्नातक उत्तीर्ण कन्याओं के विवाह पर (रूपये 10,000 अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि)	रूपये 10,000/–	रूपये 10,000/–

5. <u>प्रक्रिया:</u>

1. सहायता/अनुदान राशि प्राप्त किये जाने हेतु एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन निश्चित विवाह तिथि से एक माह पूर्व या विवाह तिथि के छः माह पश्चात तक जिला अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।
2. सम्बंधित अधिकारी द्वारा आवेदन का निस्तारण अधिकतम 15 दिवस की अवधि में किया जायेगा।
   1) विवाह पूर्व आवेदन प्राप्ति की अवस्था में जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यकता होने पर/संशय होने की स्थिति में आवेदन की सत्यता की पुष्टि स्वयं के द्वारा की जा सकेगी।

2) विवाह पश्चात आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से आवेदन के साथ संलग्न किया जायेगा।

3. आवेदक को बी.पी.एल. चयनित परिवार होने के प्रमाण स्वरूप, बी.पी.एल. कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी तथा चयनित सूची क्रमांक अंकित करना होगा।
4. आवेदक अन्त्योदय परिवार से सम्बंधित होने की अवस्था में अन्त्योदय कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
5. आवेदक आस्था कार्डधारी होने की अवस्था में आस्था कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
6.
   क) यदि आवेदिका विधवा पेंशन प्राप्त करती है तो आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न किये जायेंगे:–
      1. विधवा पेंशन का पी.पी.ओ. ;
      2. आय प्रमाण पत्र;
      3. राशन कॉर्ड में वर्णित सदस्यों में ज्येष्ठ पुत्र की आयु का प्रमाण पत्र।

   ख) विधवा पेंशन प्राप्त नहीं करने की स्थिति में आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज भी संलग्न किये जायेंगे:–
      1. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र;
      2. आय प्रमाण पत्र।
      3. राशन कॉर्ड में वर्णित सदस्यों में ज्येष्ठ पुत्र की आयु का प्रमाण पत्र।

7. शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के आवेदनकर्ता अपना आवेदन सीधे जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे;
8. आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले सभी दस्तावेज स्वप्रमाणित प्रति में प्रस्तुत किये जायेंगे।
9. वर एवं वधु की आयु के प्रमाण पत्र, यदि स्कूल पढ़ने गई है तो स्कूल प्रमाण पत्र अथवा मतदाता सूची में कन्या का नाम अंकित होने का प्रमाण पत्र अथवा राशन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति मान्य होगी।
10. स्वीकृत अनुदान की राशि जिला अधिकारी द्वारा आहरित कर अनुदान राशि आवेदक के नाम से उसके बैंक खाते में जमा करवाई जायेगी।
11. जिलाधिकारी द्वारा आवेदक को माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान की ओर से स्वीकृति की प्रति के साथ बधाई संदेश प्रेषित किया जायेगा।
12. विवाह के दिन अनुदान की प्रचलित दरों के आधार पर सहायता राशि का भुगतान किया जायेगा, अर्थात् अनुदान राशि की गणना का आधार विवाह का दिवस होगा।

6. योजना के कियान्वयन की समीक्षा :

जिला स्तर पर योजना के संचालन तथा कियान्वयन की समीक्षा के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक मोनिटरिंग समिति गठित की जायेगी। जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद तथा समस्त विकास अधिकारी पंचायत समिति, समिति के सदस्य होगें, जिला अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे। समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में आयोजित की जायेगी तथा समिति द्वारा अपने सुझाव तथा आवश्यकताओ से आयुक्त/निदेशक, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को अवगत कराया जायेगा।

7. **नियमों में शिथिलता**

इन नियमों में किसी भी प्रकार की शिथिलता राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना नहीं दी जायेगी। इन नियमों की व्याख्या, जो आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जायेगी, वही अंतिम एवं बाध्यकारी मानी जायेगी। किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

उक्त सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम, 2015 वित्त विभाग की आई.डी. 13:600272 दिनांक 27.06.2016 के अनुसरण में जारी किये जाते है।

(रवि जैन)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ. 15 ( ) ( )/सा.सु./म.क./सान्याअवि/2016/45328-438 **जयपुर, दिनांक** 13/07/2016.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त/निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, वित्त (बजट), राजस्थान, जयपुर।
11. जिला कलेक्टर, ...।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ...।
13. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सान्याअवि, ...।
14. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी ... राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक :- एफ 15 ( )सा.सु./म.क./सान्यअवि/16-17/ 52537-70 जयपुर दिनांक :- 10.8.16

उपनिदेशक/सहायक निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
....

विषय :- सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम 2015 के सम्बन्ध में।
प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 45327 दिनांक 13.07.2016 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सहयोग एवं उपहार योजना संचालन नियम 2015 के विभागीय आदेश क्रमांक 45327 दिनांक 13.07.2016 के द्वारा नवीन योजना संचालन के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :-

1. दिशा निर्देशों के पात्रता 3 के बिन्दु संख्या 6 के II में अंकित **"विधवा की मासिक आय हर स्त्रोत से 50000 रूपये वार्षिक से अधिक नहीं हो।"** के स्थान पर **"विधवा की वार्षिक आय हर स्त्रोत से 50000 रूपये से अधिक नहीं हो"** पढ़ा जावे।
2. इस योजना में स्वीकृत आदेश में अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि का पृथक-पृथक उल्लेख किया जावे।
3. योजना की गाईड लाईन के अनुसार आवेदन पत्र प्राप्ति के 15 दिवस में निस्तारण करें। अतः नवीन योजना की गाईड लाईन का अवलोकन कर निर्धारित अवधि में पात्रता के अनुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। संलग्न आवश्यक दस्तावेजों की गहनता से जांच की जावें।
4. योजना के बिन्दु संख्या 6 में योजना के संचालन के लिए जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक मोनिटरिंग कमेटी के आदेश जारी करावें प्रत्येक 3 माह में मोनिटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जावें।
5. योजना में बजट व्यय करने के लिए विभागीय पत्रांक 48812-46 दिनांक 28.07.2016 के अनुसरण में आवश्यक बजट मांग भिजवाये ताकि बजट अभाव में पात्र आवेदक वंचित न रहे।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

(रवि जैन)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ 15 ( )सा.सु./म.क./सान्यअवि/16-17/ 52571-671 दिनांक 10-8-16

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. जिला कलक्टर ....।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ....।
3. कोषाधिकारी कोष कार्यालय ....।
4. आदेश पत्रावली।

(अशोक कुमार)
अतिरिक्त निदेशक (सा.सु)

D:\Ramnarayan\General file\General letter.docx